हरियाणा सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

दिनांक 31 अगस्त, 2009

संख्या का०आ०83/के०अ०29/2005/धा०25/2009.–प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम 29) की धारा 25 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण को अनुज्ञप्ति देने तथा नवीकरण को विनियमित करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:–

संक्षिप्त नाम 1. ये नियम हरियाणा निजी सुरक्षा अभिकरण नियम, 2009, कहे जा सकते हैं ।

परिभाषाएं 2. (1) इन नियमों में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्राय है, प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम 29),

(ख) '' अभिकरण'' से अभिप्राय है, प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण,

(ग) ''प्ररूप'' से अभिप्रायः है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप,

(घ) ''मान्यताप्राप्त संस्थान'' से अभिप्राय है, नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा यथा अनुमोदित कोई पुलिस या पैरामिल्ट्री प्रशिक्षक संस्थान या ऐसा अन्य प्रशिक्षण संस्थान ।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो क्रमशः अधिनियम में उन द्वारा दिया गया है ।

नियंत्रण प्राधिकारी धारा 3 3. (1) अतिरिक्त पुलिस महानिदेषक, कानून तथा व्यवस्था, हरियाणा पुलिस, नियन्त्रण प्राधिकारी के रूप में पदाभिहित होगा।

(2) नियत्रंण प्राधिकारी एक वेबसाईट बनाने के लिए जिम्मेवार भी होगा जहां साधारण जनता के लिए सभी सम्बन्धित सूचना, अर्थात् अधिनियम, नियम, कार्य–प्रणाली, प्ररूप, परिपत्र, नोटिस हिन्दी के साथ–साथ अंग्रेजी में निरीक्षण की आवष्यकता को पूरा करने के अनुक्रम में उपलब्ध होगी।

(3) प्रत्येक अभिकरण अपने एक प्राधिकृत प्रतिनिधि पदाभिहित करेगा तथा इसकी सूचना नियंत्रण प्राधिकारी को देगा। अभिकरणों के साथ पत्राचार जहॉ तक सम्भव हो उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से इलैक्ट्रानिक साधनों द्वारा किया जाएगा। संबधित दस्तावेजों प्ररूपों, फीस इत्यादि सहित आवेदन पत्र, सत्यापन अनुरोध भी हस्ताक्षर करके आन लाइन प्रस्तुत किए जायेंगे।

आवेदकों के पूर्ववृत का सत्यापन । धारा 10

4. (1) धारा 7 या 8 के अधीन अनुज्ञप्ति देने या नवीकरण के लिए आवेदन, आवेदक द्वारा अपने पूर्ववृत के सत्यापन के लिए प्ररूप I में सूचना सहित नियत्रंण प्राधिकारी को प्ररूप V में किया जायेगा। यदि आवेदक एक कम्पनी, फर्म या व्यक्तियों का संध है तो ऐसे आवेदक के लिए आवेदन प्ररूप I में होगा।

(2) ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर नियंत्रण प्राधिकारी आवेदन के तथ्यों तथा, आवेदकों के ब्यौरों के सत्यापन के लिए ऐसी जॉच करेगा या करवाएगा जैसा वह आवश्यक समझे।

(3) जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस, आयुक्त, जैसी भी स्थिति हो, प्रत्येक व्यक्ति जिसके नाम से पूर्ववृत प्ररूप भरा गया है के पूर्ववृत के सत्यापन के अतिरिक्त निम्नलिखित सूचना भी भेजेगा :–

(i) क्या आवेदक या कम्पनी द्वारा चालित पहले से कोई प्राईवेट सुरक्षा ৳ ৳

अभिकरण, या व्यक्तिगत रूप से या दूसरों के साथ हिस्सेदारी में चला रहे है तथा यदि ऐसा है, तो उसका विवरण_ और

(ii) क्या आवेदक के पास कोई विशेष योग्यता या निपुणता है, जो उसको प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण को चलाने में सुकर हो सके ।

प्राईवेट सुरक्षा– रक्षकों और पर्यवेक्षकों के चरित्रा तथा पूर्ववृत का सत्यापन।

5. (1) किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा रक्षक के रूप में तब तक नियोजित या लगाया नही जाएगा जब तक अभिकरण अपने आपको ऐसे व्यक्ति के चरित्र तथा पूर्ववृत के बारे में निम्नलिखित रीतियों में से किसी एक या अधिक से सन्तुष्ट नहीं करेगा, अर्थात् :–

(क) स्वयं द्वारा व्यक्ति के चरित्र तथा पूर्ववृत के सत्यापन द्वारा;

(ख) व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत चरित्र तथा पूर्ववृत सत्यापित प्रमाण–पत्र तथा विश्वास द्वारा;

परन्तु चरित्र तथा पूर्ववृत प्रमाण–पत्र वैध है तथा अभिकरण के पास व्यक्ति के चरित्र तथा पूर्ववृत के बारे में किसी अन्य स्त्रोत से सम्बन्धित कोई प्रतिकूल रिपोर्ट तो नही है।

(ग) जिला पुलिस अधीक्षक के प्राधिकार के अधीन हस्ताक्षरित पुलिस से प्राप्त रिपोर्ट पर विश्वास द्वारा ।

(2) सुरक्षा रक्षक या पर्यवेक्षक के रूप में नियोजन प्राप्त करने या लगने का इच्छुक व्यक्ति अभिकरण को प्रारूप–II में सूचना प्रस्तुत करेगा । यदि व्यक्ति पिछले पांच वर्षो से अधिक एक जिले में रह रहा है तो वह प्रत्येक जिले के लिए एक प्रति प्रस्तुत करेगा ।

(3) अभिकरण इसमें भरे गए ब्यौरों के सहीपन की या तो स्वंय जांच करेगा या प्ररूप II सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक को भेजते हुए जांच करवाएगा ।

(4) जहां अभिकरण पुलिस के माध्यम से चरित्र तथा पूर्ववृत के सत्यापन का विनिश्चिय करता है, ऐसे सत्यापन का कार्य से न्यस्त पुलिस अधिकारी परिक्षेत्र का दौरा करेगा, जहां व्यक्ति निवास करने का दावा करता है या निवास कर रहा है, तथा उसका/उसकी पहचान तथा सामान्य प्रतिष्ठा का पता लगाएगा । चरित्र तथा पूर्ववृत सत्यापन रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व पुलिस रिकार्ड का ध्यान रखा जाएगा । व्यक्ति का अपराधिक इतिहास, यदि कोई हो, पर विशेष रूप से बल दिया जाएगा :

परन्तु यदि कोई व्यक्ति पहचान जैसे कि पासपोर्ट या समय–समय पर इस सम्बन्ध में नियन्त्रण प्राधिकारी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट किया जाने वाले किसी अन्य पहचान दस्तावेज के विश्वसनीय सबूत की प्रति प्रस्तुत करता है तो परिक्षेत्र के दौरे अभिमोचित किए जायेंगे।

(5) चरित्र तथा पूर्ववृत सत्यापन के लिए पुलिस की सेवाएं लेने के लिए, अभिकरण 500/– रूपये प्रति उम्मीदवार की फीस के साथ व्यक्ति का प्ररूप II प्रस्तुत करेगा । फीस नगद, चैक, बैंकर्स वा इलैक्ट्रोनिक अंतरण द्वारा लिया जायेगी ।

(6) यदि अभिकरण व्यक्ति का चरित्र तथा पूर्ववृत का सत्यापन स्वयं करने का निर्णय करता है, तो उसका/उसको अपराधिक इतिहास का पता लगाने के लिए पुलिस रिकार्ड/अपराध अपराधिक डाटाबेस को ध्यान में रखना

अनिवार्य होगा । इस प्रयोजन के लिए, अभिकरण प्रति उम्मीदवार 200/–रूपये की फीस के साथ प्ररूप II में उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत सूचना सहित सम्बद्ध जिला पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना करेगा । पुलिस केवल पुलिस रिकार्ड के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(7) पुलिस प्राधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि चरित्र तथा पूर्ववृत सत्यापन रिपोर्ट और उपनियम 6 के प्रयोजन के लिए व्यक्ति का आपराधिक इतिहास के सत्यापन की रिपोर्ट निवेदन की प्राप्ती के क्रमशः तीस दिन तथा दस दिन के भीतर जारी करेगा जिसमें असफल होने पर यह माना जायेगा की उसके पास रिपोर्ट में कुछ भी प्रतिकूल नहीं है ।

(8) व्यक्ति के चरित्र तथा पूर्ववृत के बारे में पुलिस की रिपोर्ट के तथ्य सभी समय गोपनीय रखे जाएंगे ।

(9) एक बार जारी की गई चरित्र तथा पूर्ववृत सत्यापन रिपोर्ट पांच वर्ष की अवधि के वैध रहेगी ।

(10) पुलिस सत्यापन के आधार पर अथवा उनके अपने सत्यापन के आधार पर, अभिकरण प्ररूप III में चरित्र प्रमाण–पत्र जारी करेगा । यह प्रमाण–पत्र ऐसे अभिकरण द्वारा वापिस नही किया जाएगा चाहे वह व्यक्ति उस अभिकरण का कर्मचारी न रहे ।

सुरक्षा प्रशिक्षण। धाराः 9

6. (1) सुरक्षा रक्षकों को प्रषिक्षण निम्नलिखित विषयो में दिया जाएगाः—

(क) जनता में आचरण और वर्दी को सही ढंग से धारण करना;

(ख) शारीरिक क्षमता;

(ग) शारीरिक सुरक्षा, सम्पति की सुरक्षा, भवन/ अपार्टमैंट की सुरक्षा, कार्मिक सुरक्षा, घरेलू सुरक्षा ;

(घ) अग्नि शामक ;

(ङ) पहचान—पत्र, पासपोर्ट तथा समार्ट कार्ड सहित पहचान कागजातो की जॉच;

(च) सामान्यतया पहचान दस्तावेजो, शस्त्र अनुज्ञप्ति, यात्रा दस्तावेजों और सुरक्षा निरीक्षण के समय उम्मीदवार को अग्रेजी अक्षरों तथा अरबी अकों को पढ़ने और उन्हें समझने योग्य होना चाहिए।

(छ) छुपी हुई विस्फोटक वस्तुओं की पहचान;

(ज) प्राथमिक चिकित्सा ;

(झ) संकट से निपटना और आपदा प्रबंधन;

(×ा) रक्षात्मक ड्राइविंग (सशस्त्र गाड़ियो के ड्राइवरों के लिए अनिवार्य तथा दूसरों के लिए वैकल्पिक);

(ट) अवजित आयुधों तथा अग्नेयास्त्र का उठाना—रखना और संचालन (वैकल्पिक) ;

(ठ) प्राईवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, दण्ड़ प्रक्रिया संहिता 1973 में यथावर्णित

पुलिस स्टेषन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की प्रक्रिया, भारतीय दण्ड़ सहिता 1860 (1860 का 45) का प्रारंभिक ज्ञान;

(ड) जनता और पुलिस में प्रयोग किये जाने वाले विभिन्न शस्त्रों की पहचान;

(ढ) सुरक्षा उपकरण और युक्तियों का उपयोग (जैसे कि सुरक्षा अलार्म और स्क्रीनिंग उपकरण) ; और

(ण) नेतृत्व और प्रबन्धन (केवल सुपरवाईजरी स्टॉफ के लिए) ।

(2) सुरक्षा रक्षकों को परिक्षण देने के लिए कक्षा में न्यूनतम 100 घन्टे तथा कम से कम 20 कार्यदिवस की अवधि में दिए जाने वाला साठ घन्टें का फील्ड़ पषिक्षण होगा। भूतपूर्व सैनिकों और पूर्व पुलिस कार्मिकों को केवल संघनित पाठ्यक्रम न्यूनतम चालीस घन्टे कक्षा निर्देष और सोलह घन्टें का फील्ड़ प्रषिक्षण होगा जो सात र्काय दिवसों में होगा ।

(3) अभिकरण द्वारा दी गई सुरक्षा सेवाओं के प्रबन्धन से सम्बद्ध प्रथम स्तर तथा द्वितीय स्तर पर्यवेक्षको को भी मान्यताप्राप्त संस्था से कम से कम तीन महीने की अवधि जिसमें प्रत्येक दिन के लिए छह घन्टें के लिए प्रषिक्षण प्रदान किया जाएगा। सेना, अर्ध सैनिक बलो अथवा पुलिस सेवा में अनुभव वाले व्यक्तियों के लिए केवल छह सप्ताह की अवधि का पाठ्यक्रम काफी होगा। सुरक्षा गार्डो के प्रषिक्षण के लिए, विषयों के अतिरिक्त उन्हे अपराधिक कानून, पुलिस कार्य, नेतृत्व तथा प्रबन्धन निपुणता में भी प्रषिक्षण प्रदान किया जाएगा।

(4) अभिकरण द्वारा दी गई सुरक्षा सेवा के प्रबन्धन से सम्बन्धित प्रत्येक सुरक्षा गार्ड तथा पर्यवेक्षक को प्रशिक्षण सफलतापूर्वक करना होगा । प्रशिक्षण

पूर्ण होने पर, प्रत्येक सफल प्रशिक्षु को मान्यताप्राप्त संस्था द्वारा प्ररूप IV में एक प्रमाण–पत्र दिया जाएगा ।

(5) असफल उम्मीदवारों को सुरक्षा डयूटी तब तक नहीं दी जाएगी जब तक वे प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण न कर लें ।

(6) सभी अभिकरण नियन्त्रण प्राधिकारी को सफल प्रशिक्षुओं की सूची प्रस्तुत करेंगे।

(7) इन नियमों के अनुसार प्राईवेट सुरक्षा गार्डो तथा पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण देने के प्रयोजन के लिए सार्वजनिक तथा प्राईवेट दोनों संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए मानक तथा प्रक्रिया नियत्रण प्राधिकारी अधिकथित करेगा ।

शारीरिक उपयुक्तता का मानक ।

7 (1) कोई व्यक्ति जब तक वह सुरक्षा सेवाओं के प्रबन्धन से सम्बन्धित सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक के रूप में तब तक लगाया या नियोजित नहीं किया जाएगा जब तक वह शारीरिक योग्यता के निम्न मानक को पूरा नही करता :–

(i) (क) ऊॅचाई पुरूष 160 सै0मी0

महिला 150 सै0मी0

(ख) वजन उंचाई और वजन की मानक तालिका के अनुसार ।

(ग) छाती 4 सैटीमीटर फुलाव के साथ 80 सैटीमीटर

(महिलाओं के लिए छाती मापने की कोई न्यूनतम अपेक्षा नहीं)

(ii) दृष्टि दूर दृष्टि 6/6, नजदीक दृष्टि 0.6/0.6 सुधार सहित या रहित; रंग अन्धता से रहित; रंगीन दृश्यों, सुरक्षा उपकरणों को पहचानने

तथा भेद करने में योग्य और अंग्रेजी वर्णमाला तथा अरबी अंकों को पढ़ने तथा समझने में योग्य हो ।

(iii) घुटने आपस में न मिलें तथा पैरों की तली समतल न हो और छह मिनट में एक किलोमीटर भागने के योग्य हो ।

(पैंतालीस वर्ष से उपर की आयु के व्यक्ति के लिए एक मिनट की छूट होगी)

(iv) श्रवणः दोष से मुक्त हो; सुनने और बोलने की आवाज का उतर देने तथा सुरक्षा उपकरणों द्वारा उत्पन्न अलार्म पर प्रतिक्रिया करने योग्य हो।

(v) उम्मीदवार तलाशी लेने, वस्तुओं को हाथ में लेने तथा आवश्यकता पड़ने पर व्यक्तियों को रोकने के लिए बल प्रयोग करने के लिए कुशल और समर्थ हो।

(2) उम्मीदवार किसी संक्रामक बीमारी अथवा उसके लक्षण से मुक्त हो जिसका उसकी सेवा के दौरान बढ़ने की आंशका हो या जिससे वह सेवा के लिए अनुपयुक्त हो जाए या जिससे जनता के स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हो जाए।

(3) अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि इसके पास कार्यरत प्रत्येक प्राईवेट सुरक्षा गार्ड की किसी स्वास्थ्य परीक्षा के प्रत्येक 12 माह पश्चात, उसकी अन्तिम ऐसी स्वास्थ्य जांच की जाती है। ताकि उसके प्रवेश के समय यथा विनिर्दिष्ट शारीरिक मानदण्ड का सतत् अनुरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

पर्यवेक्षक धाराः 9

8 (1) पन्द्रह से अनधिक प्राईवेट सुरक्षा गार्डो के काम के लिए एक पर्यवेक्षक

होगा।

(2) यदि प्राईवेट सुरक्षा गार्ड विभिन्न परिसरों में सुरक्षा डियूटी पर हैं ओर उनके काम का

पर्यवेक्षण एक पर्यवेक्षक द्वारा व्यवहार्थ न हो, तो अभिकरण पर्यवेक्षकें की ऐसी संख्या प्रतिनियुक्त करेगा ताकि कम से कम प्रत्येक छह प्राईवेट सुरक्षा रक्षको की सहायता, सलाह ओर पर्यवेक्षण के लिये एक पर्यवेक्षक उपलब्ध हो।

अनुक्षप्ति प्रदान करना धारा 7

9 (1) धारा 7 के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन प्ररूप V में नियंत्रण प्राधिकारी को किया जाएगा ।

(2) उप–नियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन धारा 7 की उप–धारा (3) में यथा विहित ऐसी फीस के साथ होगा। भुगतान नगद, मांग ड्राफट या बैंकर्स चैक या इलैक्ट्रानिक संव्यवहार में किया जाएगा ।

(3) उप–नियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन –

(i) या तो व्यक्तिगत रूप से दिया जाएगा; अथवा

(ii) नियंत्रण प्राधिकारी को पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा;

अथवा

(iii) ऑन लाइन प्रस्तुत किया जाएगा, बेशर्ते कि वह आवेदक द्वारा डिजीटल रूप से हस्ताक्षरित हो।

(4) उप–नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन की प्राप्ति पर नियत्रण प्राधिकारी आवेदक की या तो हाथ द्वारा या इलैकट्रानिक रूप में, जैसी भी स्थिती हो, पावती भेजेगा।

(5) नियंत्रण प्राधिकारी उप–नियम (1) के अधीन आवेदन को प्राप्त करने के बाद सभी औपचारिकताएं पूरी करने तथा आवेदक की उपयुक्तता तथा आवेदन किए गए संचालन के क्षेत्र के लिए अनुज्ञप्ति दिए जाने हेतु आवष्यकता के सम्बन्ध में स्वयं को सन्तुष्ट करने के बाद, प्ररूप VI में अभिकरण को अनुज्ञप्ति देगाः

परन्तु कोई भी अनुज्ञप्ति जिला जहां अभिकरण के कारबार का मुख्य स्थान है के जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त, जैसी भी स्थिति हो, से अनापति प्रमाण–पत्र प्राप्त किये बिना जारी नही किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए नियंत्रण प्राधिकारी अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन के साथ इसके अनुलग्नकों सहित सम्बद्ध जिला को एक प्रति भेजेगा।

(6) नियंत्रण प्राधिकारी स्वयं या अपने अधिकारियों के माध्यम से किसी प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण के सुरक्षा गार्डो तथा पर्यवेक्षकों को दिए गऐ प्रषिक्षण तथा निपुणता को सत्यापित करेगा।

(7) नियंत्रण प्राधिकारी ऐसे अभिकरणों की अनुज्ञप्तियों को जारी रखने अथवा देने बारे पुनविचार कर सकता है जिन्होनें अपेक्षित प्रषिक्षण की शतों को सुनिष्चित करने का पालन न किया हो।

अनुज्ञप्ति देने के लिए धारा 6

10 (1) अनुज्ञप्तिधारी, अभिकरण बनाने वाले व्यक्तियों अथवा उनके पतों में किसी बदलाव के सम्बन्ध में ऐसे बदलाव के तीस दिन के भीतर नियंत्रण प्राधिकारी को सूचित करेगा।

(2) अनुज्ञप्तिधारी, अभिकरण बनाने वाले किसी व्यक्ति के विरूद्ध या ऐसे अभिकरण द्वारा रखे गए किसी प्राईवेट सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक के विरूद्ध किसी

अपराधिक मामले के बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण की उसकी जानकारी के दस दिन के भीतर नियंत्रण प्राधिकारी को सूचित करेगा/करेगी। ऐसी संसूचना की एक प्रति पुलिस थाना जहां उक्त व्यक्ति रहता है, के भारसाधक अधिकारी को भी भेजेगा।

(3) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी ऐसी शर्तो के अनुसार जिन पर अनुज्ञप्ति दी गई है इन नियमों में यथा विहित प्राईवेट सुरक्षा गार्डो तथा पर्यवेक्षकों तथा उनके प्रशिक्षण के लिए शारीरिक मापदंड की अपेक्षाओं का पालन करेगा ।

(4) इन नियमों में यथा उपबन्धित के सिवाय, अनुज्ञप्ति देने के लिए भुगतान की गई फीसें अप्रत्यर्पणीय होगी ।

अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण धारा 8

11 (1) धारा (8) के अधीन अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन नियंत्रण प्राधिकारी को प्ररूप V में किया जाएगा।

(2) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए फीस वहीं होगी जो उसके देने के लिए है ।

अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए शर्तें । धाराः 8

12 अनुज्ञप्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन नवीकृत की जाएगी :–

(i) आवेदक अपना मुख्य कारोबार स्थान नियंत्रण प्राधिकारी की अधिकारिता में निरन्तर बनाए रखता है;

(ii) आवेदक प्राईवेट सुरक्षा गार्डो तथा पर्यवेक्षकों के लिए नियत प्रशिक्षण की उपलब्धता सुनिश्चित करना जारी रखता है;

(iii) आवेदक अनुज्ञप्ति की शर्तो की पालन करना निरन्तर जारी रखता है;

(iv) नियन्त्रण प्राधिकारी जिला जहां अभिकरण का अपना कारोबार का मुख्य स्थान है, के जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त, जैसी भी स्थिति हो, से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा ।

अपील धाराः 14

13 (1) धारा 14 के अधीन अपील आवेदक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा 2000/– रूपये की फीस के साथ हस्ताक्षरित प्ररूप VII में की जाएगी। व्यक्तिगत रूप में अथवा पंजीकृत डाक द्वारा राज्य सरकार को भेजी जाएगी।

रजिस्टर धाराः 15

14 (1) धारा 15 के अधीन रजिस्टर अभिकरण द्वारा प्ररूप VIII में रखा जाएगा।

फोटो पहचान–पत्र धाराः 17

15 (1) प्रत्येक प्राईवेट सुरक्षा गार्ड को धारा 17 के अधीन अभिकरण द्वारा फोटो पहचान पत्र प्ररूप IX में जारी किया जाएगा।

(2) फोटो पहचान पत्र में द्विरावृति को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा लक्षण होगें।

(3) जारी फोटो पहचान पत्र अप–टू–डेट रखा जाएगा तथा ब्यौरों में कोई

भी परिवर्तन उसमें दर्ज किया जाएगा।

(4) फोटो पहचान पत्र अभिकरण को वापस किया जाएगा जब प्राईवेट सुरक्षा गार्ड अभिकरण द्वारा नहीं लगाए रखा जाता है या उस द्वारा नियोजित नहीं रहता है ।

(5) फोटो पहचान पत्र की कोई हानि या चोरी अभिकरण के घ्यान में तुरन्त लाई जाएगी।

अन्य शर्ते 16 (1) प्रत्येक प्राईवेट सुरक्षा गार्ड कार्य के समय निम्नलिखित पहनेगाः–

(क) अभिकरण को सुभेदक बाजू बैज;

(ख) संगठन में उसका पद को दर्शाने वाले कन्धों या छाती का बैज;

(ग) डोरी से बधीं सीटी जो बाई जेब में रखी हो;

(घ) छोटे छिद्रों तथा तस्में वाले जूते;

(ङ) टोपी जिस पर अभिकरण का सुभेदक चिन्ह भी होगा; तथा

(च) फोटो पहचान पत्र अपने शरीर पर किसी सहज रिति से कमर से उपर बाहरी वस्त्र पर प्रदर्शित करते हुए धारण करेगा।

(2) डयूटी के समय प्राईवेट सुरक्षा गार्डों द्वारा पहने जाने वाले कपड़े ऐसे होंगे जो उनके दक्षता में बाधा न बने ।

(3) प्रत्येक प्राईवेट सुरक्षा गार्ड अपने साथ एक नोट बुक तथा लेखन उपकरण रखेगा ।

प्ररूप – I

[देखिए नियम 4]

आवेदक के पूर्ववृत के सत्यापन के लिए प्ररूप

1. आवेदक के अंगूठे का निशान :
(कृप्या पुरूष की दशा में बायें हाथ के अंगुठे का निशान तथा स्त्री की दशा में दाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगाएं)

2. आवेदक के नमूना हस्ताक्षर :
(i)
(ii)
(iii)

श्रेणी–1 राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित पासपोर्ट साईज में हाल ही का फोटो

पूरे विवरण बड़े अक्षरों में भरें ।

(चेतावनी : कृपया सही सूचना दें। कोई वास्तविक सूचना छुपाना उम्मीदवार को अनुज्ञप्ति देने के लिए अनुपयुक्त बना देगा।)

3. फीस के भुगतान के ब्यौरे :
फीस की राशि ....फीस का ढंग ....
बैंक का नाम (यदि कोई हो) ....संख्या और तिथि..

व्यक्तिगत विवरण :–

1. अन्तिम नाम ....

2. प्रथम नाम ....

3. यदि आपने अपना नाम बदला है, कृपया अपने सभी पूर्व नाम पूरे अंकित करें

....

.

....

.

4. लिंग (पुरुष/स्त्री) : ....

5. जन्म तिथि : ....

.

6. जन्म स्थान : ....

7. दृश्य सुभिन्न चिह्न ....

8. दूरभाष संख्या (एस0टी0डी0 कोड सहित) : ....

9. फैक्स नम्बर : ....

10. मोबाईल फोन नम्बर : ....

11. परिवार के सदस्यों के विवरण :

सम्बन्ध	प्रथम नाम	अन्तिम नाम	वर्तमान पता
पिता			
माता			
पति/पत्नी (यदि कोई है)			
विधिक संरक्षक (यदि कोई हो)			

12. वर्तमान निवास पता :

जिलाः					राज्यः					पिन कोड :					

13. कृपया तिथि बताएं जब से उपरोक्त वर्णित पते पर रह रहे हैं : ....

14. यदि आवेदक उपरोक्त खाना (12) में दिए गए वर्तमान पते पर अंतिम पॉच वर्षो से लगातार नहीं रह रहे हैं तो कृपया पूर्व पते के ब्योरे दें।

क्रम संख्या	पता	से	तक

पिछले पांच वर्षों के दौरान रह रहे प्रत्येक अतिरिक्त स्थान के लिए इस प्ररुप की अतिरिक्त प्रतियां प्रस्तुत करें। यदि अपेक्षित हो, तो प्ररुप की फोटो प्रति की जाए, किन्तु प्रत्येक प्रति पर फोटो तथा हस्ताक्षर मूल रुप में लगाए जाने अपेक्षित हैं।

15. स्थाई पता :

जिलाः					राज्यः					पिन कोड :					

16. यदि आप विदेश में रह रहे हैं, स्थानों के विवरण दें, जहां इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद आवेदक छह मास से अधिक रहा है :

क्रम संख्या	पता	से	तक

17. अन्य ब्यौरे :

(क) शैक्षणिक योग्यताऐं :

क्रम संख्या	**योग्यता**	**सस्थान का नाम**	**बोर्ड/विशविद्यालय**	**वर्ष**	**अंकों की प्रतिशतता**

(ख) कार्य अनुभव :

क्रम संख्या	नियोक्ता का नाम तथा पता	सम्पर्क दूरभाष संख्या	धारित पद	से	तक

(ग) पूर्व नियोजन छोड़ने का कारण : ....

18. क्या आपने पहले कभी किसी प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण का परिचालन किया है ? ....

19. यहि हॉ, तो ब्यौरे दें :

क्रम संख्या	नाम तथा पता	कब से

20. क्या आप भारत के नागरिक है ? हां/नहीं

यदि हां तो अवजनन से/रजिस्ट्रेशन से/देशीयकरण से

(कृपया सही विकल्प को चिह्नित करें)

21. यदि आपने पहले कभी किसी अन्य देश की नागरिकता का प्राप्त की है, तो नाम दें ....

....

22. क्या आप किसी समय किसी अपराधिक अपराध के लिए भारत में किसी न्यायालय द्वारा सिद्वदोष ठहराए गए हैं ? यदि हां, तो ब्यौरे दीजिए (मामला संख्या तथा वर्ष, थाना, न्यायालय का नाम तथा अपराध) ....

....

(कृपया प्रत्येक मामले में न्याय–निर्णय की प्रति सलंग्न करें)

23. क्या आपके विरुद्ध भारत के किसी न्यायालय में कोई अपराधिक कार्यवाहियां लम्बित हैं ? यदि हां, तो ब्यौरें दें (थाना, मामला संख्या तथा वर्ष, न्यायालय का नाम तथा अपराध) ....

....

....

तिथि : .... आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

स्थान : ....

24. अनुलंग्नक :

1.

2.

3.

4.

घोषणा : इस प्ररूप तथा अनुलंग्नकों में मेरे द्वारा दी गई सूचना सही है और इनकी यथार्थता के लिए मैं अकेला ही उत्तरदायी हूॅं ।

(आवेदक के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

(कृपया पुरूष की दशा में बाएं हाथ के अंगूठे का निशान तथा स्त्री की दशा में दाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगाएं)

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए

प्ररुप संख्या	थाना का नाम जहां पुलिस सत्यापन के लिए भेजा गया है।	प्रेषण की तिथि	टिप्पणियां

प्ररूप– II

[देखिए नियम 5]

प्राईवेट सुरक्षा गार्ड के चरित्र और पूर्ववृत के सत्यापन के लिए प्ररूप

1. आवेदक के अंगूठे का निशान :
(कृप्या पुरूष की दशा में बायें हाथ के अंगुठे का निशान तथा स्त्री की दशा में दाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगाएं)

2. आवेदक के नमूना हस्ताक्षर :
i. ....
ii. ....
iii ....

श्रेणी–1 राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित पासपोर्ट साईज में हाल ही का फोटो

पूरे विवरण बड़े अक्षरों में भरें।

(चेतावनी : कृपया सही सूचना दें। कोई वास्तविक सूचना छुपाना उम्मीदवार को अनुज्ञप्ति देने के लिए अनुपयुक्त बना देगा।)

3. फीस के भूगतान के ब्यौरे :
फीस की राशि .... भुगतान का ढंग ....
बैंक का नाम (यदि कोई हो)......................... संख्या और तिथि ....

व्यक्तिगत विवरण :–

4. अन्तिम नाम ....

5. प्रथम नाम ....

6. यदि आपने अपना नाम बदला है, कृपया अपने सभी पूर्व नाम पूरे अंकित करें
....
....

7. लिंग (पुरुष / स्त्री) : ....

8. जन्म तिथि : ....

9. जन्म स्थान : ....

जिला, राज्य तथा देश : ....

10. दृश्य सुभिन्न चिह्न ....

11. ऊंचाई : .... भार ....छाती फुलाव के बिना ....फुलाव सहित (पुरुष आवेदक के मामले में लागू)

12. दूरभाष संख्या (एस0टी0डी0 कोड सहित) : ....

मोबाईल फोन नम्बर ....

13. (i) पासपोर्ट संख्या ....दिनांक...................................जारी ....

(ii) वोटर पहचान–पत्र सबूत का नाम/ब्यौरा ....

संख्या ....दिनांक ....जारी करने वाले प्राधिकारी ....

14. परिवार का सदस्यों के विवरण :

सम्बन्ध	**प्रथम नाम**	**अन्तिम नाम**	**वर्तमान पता**
पिता			
माता			
पति/पत्नी (यदि कोई है)			
विधिक संरक्षक (यदि कोई हो)			

15. वर्तमान निवास पता :

जिलाः					राज्यः					पिन कोड :					

16. कृपया तिथि बताएं जब से उपरोक्त वर्णित पते पर रह रहे हैं : ....

17. यदि आवेदक खाना (15) में दिए गए वर्तमान पते पर अंतिम पॉच वर्षो से लगातार नहीं रह रहे हैं तो कृपया पूर्व पते के ब्योरे दें:

क्रम संख्या	पता	से	तक

पिछले पांच वर्षों के दौरान रह रहे प्रत्येक अतिरिक्त स्थान के लिए इस प्ररुप की अतिरिक्त प्रतियां प्रस्तुत करें। यदि अपेक्षित हो, तो प्ररुप की फोटो प्रति की जाए, किन्तु प्रत्येक प्रति पर फोटो तथा हस्ताक्षर मूल रुप में लगाए जाने अपेक्षित हैं।

18. स्थाई पता :

जिलाः					राज्यः					पिन कोड :					

19. यदि आप विदेश में रह रहे हैं, स्थानों के विवरण दें जहां इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद आवेदक छह मास से अधिक रहा है :

क्रम संख्या	**पता**	**से**	**तक**

20. अन्य ब्यौरे :

(क) शैक्षणिक योग्यताऐं :

क्रम संख्या	योग्यता	सस्थान का नाम	बोर्ड/विशविद्यालय	वर्ष	अंकों की प्रतिशतता

(ख) कार्य अनुभव :

क्रम संख्या	नियोक्ता का नाम तथा पता	सम्पर्क दूरभाष संख्या	धारित पद	से	तक

(ग) पूर्व नियोजन छोड़ने का कारण : ....

21. क्या आप प्ररुप III में वैद्य चरित्र तथा पूवग्वृत प्रमाण–पत्र रखते हो ? हां/नहीं
यहि हां तो प्रति संलग्न करें।

22. क्या आप भारत के नागरिक है ? हां/नहीं
यदि हां तो अवजनन से/रजिस्ट्रेशन से/देशीयकरण से
(कृपया सही विकल्प को चिहि्नत करें)

23. यदि आपने पहले कभी किसी अन्य देश की नागरिकता का प्राप्त की है, तो नाम दें ....
....
....

24. क्या आप किसी समय किसी अपराधिक अपराध के लिए भारत में किसी न्यायालय द्वारा सिद्वदोष ठहराए गए हैं ? यदि हां, तो ब्यौरे दीजिए (मामला संख्या तथा वर्ष, थाना, न्यायालय का नाम तथा अपराध) ....
....

(कृपया प्रत्येक मामले में न्याय–निर्णय की प्रति सलंग्न करें)

25. क्या आपके विरुद्ध भारत के किसी न्यायालय में कोई अपराधिक कार्यवाहियां लम्बित हैं ? यदि हां, तो ब्यौरें दें (थाना, मामला संख्या तथा वर्ष, न्यायालय का नाम तथा अपराध) ....
....
....

26. क्या किसी न्यायालय ने आपकी पेशी हेतु वारंट या समन अथवा गिरफतारी हेतू वारंट अथवा आपके भारत छोड़ने को प्रतिसिद्ध करते हुए कोई आदेश जारी किए हैं ? यदि ऐसा है, तो न्यायालय का नाम, मुकदमा संख्या तथा अन्य ब्यौरे दें:
....
....

27. घोषणा : इस प्ररुप तथा अनुलग्नकों में मेरे द्वारा दी गई सूचना सही है और इनकी यथार्थता के लिए मैं अकेले ही उत्तरदायी हूँ।

(आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान)

(* यदि पुरुष है, तो बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और यदि स्त्री है, तो दाएं हाथ के अंगूठे का निशान)

तिथि : ....

स्थान : ....

28. मृत्यु अथवा दुर्घटना की दशा में, सूचना दिए जाने वाले व्यक्ति का विवरण :

नाम ....

पता ....

मोबाईल / दूरभाष संख्या ....

29. अनुलग्नक :

1.

2.

3.

4.

(आवेदक के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

(कृपया पुरुष की दशा में बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और यदि स्त्री की दशा में दाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगाएं)

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए

प्ररुप संख्या	थाना का नाम जहां पुलिस सत्यापन के लिए भेजा गया है।	प्रेषण की तिथि	टिप्पणियां

प्ररूप– III

[देखिए नियम 5(10)]

चरित्र और पूर्ववृत प्रमाण –पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पुत्री श्री .... जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं उसका नैतिक चरित्र और अच्छी ख्याति के हैं आवेदक पिछले .... वर्षों से निम्न पते पर लगातार रह रहा हैः–

जन्म तिथि ....

जन्म स्थान ....

शैक्षिक योग्यता ....

व्यवसाय ....

वर्तमान पता ....

स्थाई पता ....

जारीकर्ता प्राधिकारी

हस्ताक्षर :

नाम और पदनामः ....

पता/दूरभाष संख्या : ....

जारी करने की तिथि :...................................

प्ररूप – IV

[देखिए नियम 6(4)]

क्रम सं0 :

प्रशिक्षण संस्थान का नाम ....

प्रशिक्षण संस्थान का पता ....

अनूज्ञप्ति संख्याः ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कुमारी ....

पुत्र/पुत्री श्री ....निवासी...

....ने ....से ....

तक प्राईवेट सुरक्षा गार्ड/पर्यवेक्षक के रुप में लगने के लिए उसके हस्ताक्षर नीचे सांक्ष्यांकित हैंः

प्रमाण – पत्र धारी के हस्ताक्षरः

....

जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर

पद :

जारी करने की स्थान ....

जारी करने की तिथि ....

प्ररूप– V

[देखिए नियम 9 से 11]

अनुज्ञप्ति नवीनीकरण करने हेतू आवेदन–पत्र

सेवा में,

नियन्त्रक प्राधिकारी

....

....

अधोहस्ताक्षरी इसके द्वारा प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण के कारबार में कार्य करने के लिये अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतू आवेदन करता है :–

1. आवेदक का पूरा नाम

....

2. पता :– ....

3. दूरभाष संख्याः .... फैक्स संख्या ....

ईमेल पता : ....

4. पता जहां आवेदक अपना अभिकरण प्रारम्भ करने का ईच्छुक है : ....

5. नियन्त्रण प्राधिकारी के साथ पत्राचार के प्रयोजन के लिए आवेदक के प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम, पता तथा सम्पर्क ब्यौरेः

6. स्वामी, हिस्सेदारों / शेयरधारकों / प्रबन्धकों / निदेशकों और अभिकरण के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के नाम तथा पतेः

क्रम संख्या	**नाम**	**माता–पिता**	**पता**	**राष्ट्रीयता**

(कृपया पूर्ववृत के सत्यापन के लिए यदि अपेक्षित हो तो अलग शीट लगाएं। आवेदक का व्यक्तिगत विवरण प्ररुप 1 में भरे)

7. उपलब्ध सुविधा का विवरण : ....
(यदि अपेक्षित हो, तो कृपया अलग शीट लगाएं)

8. निर्देश देने हेतू नियुक्त अमले की योग्यतायें :–
नाम ....
आयु ....
पद नाम...
(यदि अपेक्षित हो, तो कृपया अलग शीट लगांएं)

9. सुरक्षा सेवा में उपबंध करने के लिए उपलब्ध उपकरण :
(यदि अपेक्षित हो, तो कृपया अलग शीट लगांएं)

10. यदि आवेदक प्राईवेट सुरक्षा गार्ड तथा पर्यवेक्षक के लिए वर्दी प्रयोग करना चाहता हैः वर्दी का विवरण (रंग, बिल्ला इत्यादि) :

11. क्या आवेदक के पास किसी अन्य राज्य में प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण चलाने के लिए अनुज्ञप्ति है ? यदि हां तो अनुज्ञप्ति की प्रति संलग्न करें)

12. क्या आवेदक एक से ज्यादा जिलों में चलाना चाहता है यदि ऐसा है, तो जिलों के नाम :
1 ....2 ....3 ....4 ....5 ....
(यदि अपेक्षित हो, तो कृपया अलग शीट लगांएं)

13. क्या आवेदक पूरे राज्य में चलाना चाहता है : ....

14. क्या अभिकरण के पास अपनी प्रशिक्षण सुविधा है या इसको बाहरी स्त्राोतों के आधार से दिलायेगा ?

(प्रत्येक ऐसी प्रशिक्षण सुविधाओं के नाम तथा पते, यदि अपेक्षित हो, तो अतिरिक्त कागज में दिए जाने चाहिए)

15. फीस भुगतान के ब्यौरेः

राशि .... भुगतान का ढंग...

बैंक का नाम (यदि कोई हो) ....संख्या तथा तिथि ....

हस्ताक्षर :

आवेदक का नाम : ....

आवेदक का पता : ....

तिथि : ....

स्थान : ....

अनुलंग्नक :—

1. वर्तमान आयकर अनापति प्रमाण पत्र की प्रति ।

2. अधिनियम की धारा 7 उप धारा (2) में यथाविहित शपथ पत्र ।

3. ....

4. ....

प्ररूप VI

[देखिए नियम 11]

प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण के कारोबार लगाने के लिए अनुज्ञप्ति

1. क्रम संख्या : ....

2. तिथि : ....

3. श्री/श्रीमति/कुमारी ....(आवेदक का नाम)

पुत्र/पुत्री श्री ....

निवासी ....

....(पूरा पता)

4. नियन्त्रण अधिकारी द्वारा .... राज्य के जिला (जिलों) में/राज्य (जो लागू न हो उसे काट दें) ....के प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण का कारोबार चलाने हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है।

कार्यालय ....

जारी करने का स्थान ....

जारी करने की तिथि ....

यह अनुज्ञप्ति .... तक वैद्य है ।

हस्ताक्षरः

नियन्त्रण प्राधिकारी का नाम :

पद नामः

कार्यालय का पता :

नवीकरण

(देखिए नियम 14)

नवीकरण की तिथि	अवसान की तिथि
1.	
2.	
3.	
4.	

हस्ताक्षरः

नियन्त्रण प्राधिकारी का नाम :

पद नाम :

कार्यालय का पता :

प्ररूप VII
(देखिए नियम –15)
अपील हेतु प्ररूप

सेवा में,

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव,
हरियाणा सरकार, गृह विभाग,
चण्डीगढ़।

श्रीमान्/श्रीमती जी,

अधोहस्ताक्षरी प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 14 के अन्तर्गत निम्नलिखित ब्यौरे देते हुए अपील दायर करता है :–

श्री/श्रीमती/कुमारी ....(आवेदक का नाम) पुत्र/पुत्री श्री ....

....

निवासी ....(पूरा पता)

नियन्त्रण प्राधिकारी ....

अपील विरुद्ध आदेश संख्या तथा दिनांक ....

के मामले में : ....

(आक्षेप आदेष की अनुलंग्नक प्रति)

अपील का आधार :

....

....

....

....

(यदि अपेक्षित हो, तो कृपया अलग शीट लगाएं)

अनुलग्नकों की सूची :

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

हस्ताक्षर :

आवेदक का नामः ....

तिथि ....

स्थान ....

प्ररूप– VIII

(देखिए नियम 14)

ब्यौरा रजिस्ट्रर

(भाग–1 प्रबन्धन विवरण)

क्रम संख्या	नाम	पिता का नाम	धारित पद	वर्तमान पता तथा फोन नम्बर	स्थाई पता	राष्ट्रीयता	अभिकर्ता में नियुक्त/छोड़ने की तिथि

(भाग–II प्राईवेट सुरक्षा गार्ड और पर्यवेक्षक)

क्रम संख्या	नाम	पिता का नाम	पद	वर्तमान पता तथा फोन नम्बर	अभिकर्ता में नियुक्त / छोड़ने की तिथि	स्थाई पता	फोटो	बैज संख्या	तिथि सहित वेतन

(भाग–III ग्राहक)

क्रम संख्या	ग्राहक का नाम, पता तथा टेलिफोन नम्बर	जहां सुरक्षा दी जानी है उसका पता	कितने और किस स्तर के सुरक्षा गार्ड दिये गए हैं	सेवा में आने की तिथि	सेवा समाप्ति की तिथि

(भाग–IV काम तालिका)

क्रमांक	निजि सुरक्षा गार्ड तथा निरीक्षक का नाम	कार्य करने के स्थान का पता	क्या कोई हथियार / बातचीत करने का यन्त्र दिये गए हैं	कार्य शुरु करने की तिथि	कार्य समाप्त करने की तिथि

प्ररूप–IX

(देखिए नियम 15)

(प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण का नाम तथा लोगो)

1. नाम ....
2. पद ....
3. पहचान संख्या ....
4. ब्लड ग्रुप ....
5. वैद्य तिथि ....
6. नमुना हस्ताक्षर ....

जारीकर्ता अधिकारी
के मोहर सहित हस्ताक्षर

अतिरिक्त सुचना जैसे कि दुरभाष नम्बर इत्यादि पिछली तरफ दिये जा सकते हैं।)

कृष्ण मोहन
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव,
हरियाणा सरकार, गृह विभाग।